

1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राजप.)

प्रकरण संख्या 146/2017

मैरु कुम्हार पि. बनाम विवपकाश कौवल पि. रामकिशन कौवल
श्रीकिशन कुम्हार पि. माधोपुरा पि. मालका लोडा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मैरु कुम्हार ने जरिये अधिका
श्री विपकाश कौवल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल
खाते की भूमि ग्राम साईपीपला प0ह0 मांगटला तह0 माण्डलगढ में आराजी न0
16, 17,

किता 2 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आयें विवपकाश कौवल
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराने के लिये
साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिका
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी मैरु कुम्हार
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद कराने के लिये
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जावे।
ग्राम साईपीपला की आराजी न0- 16, 17

रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा कौवल की बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी विवाद कराने
के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
कमीशनर फीस 500 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसील में
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

8